**संख्या-89/2026/आई/1341963/2026/002-23-6099/218/2025**

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

**लोक निर्माण अनुभाग-7** **लखनऊ: दिनांक 25-05-2026**

**विषयः** वित्तीय वर्ष 2026-27 में धर्मार्थ कार्य योजनान्तर्गत आगरा मण्डल के कतिपय जनपदों के 17 चालू कार्यों पर धनावंटन के संबंध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्रों(तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजना के अधोलिखित तालिका में अंकित 17 चालू कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल **रू0 1004.79 लाख (रूपये दस करोड चार लाख उनासी हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

**(धनराशि रू0 लाख में)**

| क्रम सं0 | मुख्य अभियंता(मु0-1) का पत्रांक | खण्ड/जनपद का नाम | मार्ग का नाम | शासनादेश संख्या | स्वीकृत / मूल लागत/ बचत/बचत के उपरान्त कार्य की लागत | अब तक आवंटन | क्षेत्र से प्राप्त मांग | अवमुक्त आवंटन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 21215/CE-HQ1/DHARMARTH/AGR/2026-27 Dt-06-05-2026 | प्रा.ख. मथुरा | वृन्दावन-छटीकरा मार्ग के किमी0-9 हनुमान मन्दिर से बहुलवान बाटी तक मार्ग का नव निर्माण कार्य। | 58/2025/आई/1146705/2025/001-23-6099(099)/192/25, दि0-18.11.25 | 134.95<br>134.95<br>16.03<br>118.92 | 67.47 | 30.00 | 30.00 |
| 2 | -तदैव- | प्रा.ख. मथुरा | जनपद मथुरा में नगला सपेरा से गोवर्धन तहसील होते हुये मुखराई तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य। | 65/2025/आई/1152996/2025/001-23-6099(099)/284/25, दि0 24-11-2025 | 293.64<br>293.64<br>96.96<br>196.68 | 71.82 | 60.00 | 60.00 |
| 3 | -तदैव- | प्रा.ख. मथुरा | जनपद मथुरा में गोवर्धन ड्रेन बाईपास मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य | 12/2026/आई/1227125/2026/001-23-7002(099)/3/2025, दि0 04-02-2026 | 859.29<br>859.29<br>170.24<br>689.05 | 257.79 | 150.00 | 150.00 |
| 4 | 21412/CE-HQ1/DHARM | प्रा.ख. मथुरा | जनपद मथुरा में पैंठा हैलीपोर्ट रोड से गोर्वधन सौंख मार्ग तक सम्पर्क | 179/2025/940/001-23- | 212.05<br>212.05 | 20.05 | 25.00 | 25.00 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ARTH/AGR/2026-27 Dt-12-05-2026 | | मार्ग का निर्माण कार्य। | 6099/90/2025, दि0 31-03-2025 | 72.92<br>139.13 | | | |
| 5 | -तदैव- | प्रा.ख. मथुरा | जनपद मथुरा में आटस कीकी से गोंदा आटस मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य। | 179/2025/940/001-23-6099/90/2025, दि0 31-03-2025 | 340.55<br>340.55<br>94.52<br>246.03 | 185.05 | 45.00 | 45.00 |
| 6 | -तदैव- | प्रा.ख. मथुरा | जनपद मथुरा में सहार (गोर्वधन छाता मार्ग) से कमई-करहला होते हुए बरसाना तक मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य। | 179/2025/940/001-23-6099/90/2025, दि0 31-03-2025 | 174.83<br>174.83<br>58.28<br>116.55 | 95.05 | 15.00 | 15.00 |
| 7 | -तदैव- | प्रा.ख. मथुरा | जनपद मथुरा में में टैंक चौराहा से पावर हाउस मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य। | 179/2025/940/001-23-6099/90/2025, दि0 31-03-2025 | 294.33<br>294.33<br>110.14<br>184.19 | 119.05 | 35.00 | 35.00 |
| 8 | -तदैव- | प्रा.ख. मथुरा | जनपद मथुरा में खायरा से ब्रजवारी नन्दगांव मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। चैनेज 0.000 से 5.500 | 56/2025/आई/1146315/2025/001-23-6099-099/301/2025 /दिनांक- 18-11-2025 | 1114.26<br>1114.26<br>29.84<br>1084.42 | 734.28 | 150.00 | 15.00 |
| 9 | -तदैव- | प्रा.ख. आगरा | जनपद आगरा में सामरा उत्तू मार्ग से ताल वाले हनुमान जी मंदिर तक मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। | 68/2025/आई/1152540/2025/001-23-6099(099)/281/25 , दिनांक 24.11.2025 | 71.07<br>71.07<br>15.53<br>55.54 | 1.04 | 51.72 | 51.72 |
| 10 | -तदैव- | प्रा.ख. फिरोजाबाद | फतेहाबाद फिरोजाबाद मार्ग के किमी0 14 में गढ़ी तिवारी चैराहे से चन्द्रवारगेट मार्ग के किमी0 1 से 6 (50) में चैडीकरण का कार्य। | 9/2026/आई/1217055/2026/001-23-7/4/2025, दि0 27-01-2026 | 1266.02<br>1266.02<br>30.74<br>1235.28 | 126.60 | 70.00 | 70.00 |
| 11 | 21428/CE-HQ1/DHARMARTH/AGR/2026-27 Dt-13-05-2026 | प्रा.ख. मथुरा | गाठोली से पूछरी सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य | 50/2025/आई/1134746/001-23-6099(099)/282/2025, दि0 06-11-2025 | 435.15<br>435.15<br>115.66<br>319.49 | 34.00 | 150.00 | 150.00 |
| 12 | 21546/CE-HQ1/DHARMARTH/AGR/2026-27 Dt-15-05-2026 | नि.ख.-1 मथुरा | मथुरा सादाबाद से रावल मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। | 65/2025/आई/1152996/2025/001-23-6099(099)/284/25, दि0 24-11-2025 | 222.09<br>222.09<br>0.15<br>221.94 | 31.04 | 40.00 | 40.00 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | -तदैव- | नि.ख.-1<br>मथुरा | मथुरा वृन्दावन मांट नौहझील मार्ग से जहाँगीरपुर बेलवन मार्ग (ग्रा0मा0) का नवनिर्माण का कार्य। | 65/2025/आई/1152996/2025/001-23-6099(099)/284/25, दि0 24-11-2025 | 164.67<br>164.67<br>0.36<br>164.31 | 11.33 | 25.00 | 25.00 |
| 14 | -तदैव- | प्रा.ख.<br>फिरोजाबाद | धर्मार्थ योजना के अन्त्रतगत जैन मंदिर से हनुमान मन्दिर तक मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। | 9/2026/आई/1217055/2026/001-23-7/4/2025, दि0 27-01-2026 | 102.15<br>102.15<br>0.56<br>101.59 | 30.65 | 30.00 | 30.00 |
| 15 | -तदैव- | प्रा.ख.<br>मैनपुरी | जनपद मैनपुरी में भोगॉव संकिसा अन्य जिला मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। | 108/2025/758/001-23-6099-099-41-2025/दिनांक-17-03-2025 | 1197.87<br>1068.88<br>0.00<br>1068.88 | 438.00 | 70.00 | 70.00 |
| 16 | 21672/CE-HQ1/DHARMARTH/AGR/2026-27 Dt-19-05-2026 | नि.ख.-2<br>आगरा | आहरन पुलिया से होते हुए शिवालय मंन्दिर तक चैडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। | 10/2026/आई/1219770/2026/001-23-7002-099/4/2025, दि0 29-01-2026 | 549.36<br>549.36<br>60.00<br>489.36 | 67.65 | 150.00 | 150.00 |
| 17 | -तदैव- | प्रा.ख.<br>आगरा | जनपद आगरा में मण्डी मिर्जा सामरा मार्ग से लडडू वाले हनुमान जी तक मन्दिर का नवनिर्माण कार्य। | 9/2026/आई/1217055/2026/001-23-7/4/2025, दि0 27-01-2026 | 96.23<br>93.23<br>17.50<br>75.73 | 28.87 | 43.07 | 43.07 |
| | | | **कुल योग** | | | | | **1004.79** |

**<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध</u>**

(1) प्रश्नगत चालू कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्यों के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल एवं पुनरीक्षित शासनादेशों के समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से संबंधित बजट के आनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 तथा कार्यों के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किये जाने के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13.04.2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(5) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु यदि लागत में अनुरक्षण पर व्यय सम्मिलित है, तो अनुरक्षण की धनराशि को वर्तमान धनावंटन के क्रम में व्यय नहीं किया जायेगा।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

**2-** इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,04,79,000 ( रुपये दस करोड़ चार लाख उनासी हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043371200 धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण, नवनिर्माण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

**3-** यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1) निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन ।
2) निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
4) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
5) सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
6) मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7) वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8) सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9) सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०-4/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन।
12) राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
13) अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14) लोक निर्माण अनुभाग-10/11, उ०प्र० शासन।
15) नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०शासन।
16) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।